

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या— 335 / 2015.....

जिला.....अलवर.....

उन्नति—मै0 दुर्गा आयरन ट्रेडर्स, अलवर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त—ए, अलवर

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>24.02.2016</p>	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री मनोहर पुरी—सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक अनुपस्थित एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी जरिये अभिभाषक श्री ओ.पी.गुप्ता की ओर से विद्वान करने के संबंध में हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र दिनांक 19.02.2016 को जारी किया गया, जो दिनांक 22.02.2016 को प्राप्त हुआ, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत एमनेस्टी स्कीम, 2016 का लाभ लेना चाहता है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं न्याय हित में अपीलार्थी को उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार स्कीम का लाभ लेने हेतु अपील को विद्वान करने की आज्ञा प्रदान करे।</p> <p>इस पर विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को विद्वान करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की है।</p> <p>फलस्वरूप अपीलार्थी की अपील, पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत अपील विद्वान करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील संख्या 335 / 2015 / अलवर जरिये विद्वानवल (Withdrawal) खारिज की जाती हैं।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">          24.02.2016          (मनोहर पुरी)          सदस्य</p>	